

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

संकल्प

विषय- स्वास्थ्य विभाग के दाधीन बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम (Bihar Medical Services & Infrastructure Corporation) के गठन के संबंध में ।

अच्छी गुणवत्ता वाली दवाओं एवं उपकरणों का न्यूनतम दर पर क्रय स्वास्थ्य प्रक्षेत्र को प्रभावशाली बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है । सम्प्रति यह कार्य बिहार राज्य स्वास्थ्य समिति द्वारा किया जा रहा है । यह देखते हुए कि दवाओं एवं उपकरणों का क्रय एक विशिष्ट कार्य है, यह आवश्यक है कि ये कार्य ऐसी एजेन्सी से कराया जाए जिसे इसमें निपुणता प्राप्त हो ।

2- राज्य में स्वास्थ्य प्रक्षेत्र की आधारभूत संरचना में कई गुना वृद्धि होनी है । राज्य के सभी प्रखंडों (अनुमंडलीय तथा जिला मुख्यालय को छोड़कर) में अवस्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को 30 शाय्या के अस्पताल में उत्कमित किया जाना है । राज्य में लगभग 1500 अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के भवन के निर्माण की आवश्यकता है । लगभग दस हजार से भी अधिक स्वास्थ्य उप केन्द्रों के भवन का निर्माण भी किया जाना है । यदि इन कार्यों को सन् 2012 तक पूरा नहीं किया जाता है तो राज्य सरकार राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत इस निमित्त मिलनेवाली राशि से वंचित हो जायेगा ।

3- राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के Implementation Frame work में भी राज्यों में क्रय आदि की क्षमता की कमी को इंगित किया गया है और तमிலनாடு चिकित्सा आपूर्ति निगम (Tamilnadu Medical Supplies Corporation) के अनुरूप राज्यों को सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनी/निगम बनाने की सलाह दी गयी है ।

4- उपर्युक्त के आलोक में भारतीय कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा-617 के अन्तर्गत बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम (Bihar Medical Services & Infrastructure Corporation) का गठन किया जाना है । यह निगम गुणवत्तायुक्त दवा, उपकरण, सेवाओं एवं निर्माण कार्यों की न्यूनतम दर पर व्यवस्था सुनिश्चित करायेगा । इस निगम को बिहार वित्त नियमावली के नियम 129 के अन्तर्गत दवा, उपकरण, सेवाएँ एवं निर्माण कार्यों की अधिप्राप्ति के लिए "रोज्य क्रय संगठन" नामित किया जाता है ।

5- इस निगम के गठन के लिए सरकार द्वारा मेमोरेंडम ऑफ एसोसियेशन और आर्टिकल ऑफ एसोसियेशन अनुमोदित किया गया है तथा निगम के गठन तथ संचालन की कार्यवाही तदनुरूप की जाएगी ।

6 (क) इस निगम में निदेशकों की संख्या कम से कम पांच तथा अधिक से अधिक चौदह होगी । निदेशकों की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा निमांकित में से की जाएगी ।

1-	विकास आयुक्त	अध्यक्ष
2-	बिहार सरकार द्वारा नियुक्त पदाधिकारी	प्रबंध निदेशक
3-	प्रधान सचिव/सचिव, वित्त विभाग, बिहार	सदस्य
4-	प्रधान सचिव/सचिव, स्वास्थ्य विभाग	सदस्य
5-	कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार	सदस्य
6-	स्वतंत्र निदेशक(चिकित्सा क्षेत्र के विशेषज्ञ)	सदस्य
7-	स्वतंत्र निदेशक(अभियंत्रण क्षेत्र के विशेषज्ञ)	सदस्य
8-	महाप्रबंधक(प्रोक्स्योरमेंट (इंग्स एवं एक्वीपमेंट्स)	सदस्य
9-	महाप्रबंधक, वकर्स	सदस्य
10-	महाप्रबंधक, वित्त	सदस्य

(ख) प्रबंध निदेशक के पद पर राज्य सरकार भा.प्र.से. के सुपरटाईम वेतनमान में उपयुक्त पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति करेगी या खुले बाजार से वैसे व्यक्ति का चयन किया जायेगा जिसे संबंधित क्षेत्र में कम से कम दस वर्ष का अनुभव हो तथा जो चार्टेड एकाउंटेट हों अथवा लब्धप्रतिष्ठित संस्थान से एम.बी.ए. की डिग्री प्राप्त हों ।

(ग) इस निगम में अभियंत्रण कोषांग सहित प्रारम्भ में सत्रह पद होंगे जिनपर नियुक्ति/प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन के माध्यम से आवेदन पत्र प्राप्त किये जायेंगे तथा योग्यता के आधार पर अथवा खुले बाजार से नियुक्ति की जायेगी ।

(घ) आवश्यकतानुसार इस निगम के बोर्ड द्वारा अन्य कर्मियों के पदों को चिन्हित किया जायेगा एवं इन पदों का सृजन तथा चयन प्रक्रिया सरकार की पूर्वानुमति से निर्धारित की जायेगी । निगम द्वारा की जाने वाली सभी नियुक्तियों पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा ।

(च) निगम की वित्तीय सूचना प्रकट करने में पारदर्शिता बनाए रखने तथा आन्तरिक नियंत्रण और अंकेक्षण के लिए अंकेक्षण बोर्ड

का गठन किया जायेगा। अंकेक्षण बोर्ड कम्पनी के वित्तीय विवरण प्रकटीकरण का निरीक्षण भी करेंगा।

(छ) निगम को क्य और अनुबंध के प्रबंधन के लिए सेवा शुल्क अनुमान्य होगा जो 5 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा। जहां तक निर्माण कार्य का प्रश्न है यह निगम निर्माण कार्य हेतु निविदा प्राप्त कर उपयुक्त एजेन्सी का चयन करेगा। निर्माण कार्य हेतु निगम को अधिकतम सात प्रतिशत सेवा शुल्क अनुमान्य होगा।

(ज) निगम को वित्तीय स्थिरता प्रदान करने हेतु औषधि तथा उपकरण क्य के लिए किसी वित्तीय वर्ष में उपबंधित राशि के 90 प्रतिशत पर उपरोक्त कंडिका 'छ' के अनुसार सेवा शुल्क की राशि देय होगा।

(झ) तमिलनाडु चिकित्सा सेवा निगम की भाँति दवाओं एवं उपकरणों के क्य हेतु बजट की राशि निगम को स्थानान्तरित कर दी जायेगी ताकि उक्त संस्थान द्वारा बिना विलम्ब के आपूर्तिकर्त्ता को भुगतान आदि की कारवाई की जा सके।

(ट) राज्य सरकार द्वारा निगम को प्रारंभिक कैफिटल के रूप में दस करोड़ की राशि हिस्सा पूँजी के रूप में दी जायेगी। तत्पश्चात निगम को सारी आवश्यकतायें अपने द्वारा सम्पादित किये गये कार्यों से अर्जित कमीशन या सेवा शुल्क से ही पूरी करनी होगी।

7- इस निगम के कार्य संचालन हेतु स्वास्थ्य विभाग प्रशासी विभाग होगा।

आदेश : आदेश दिया जाता है कि सर्वसाधारण की जानकारी हेतु उपर्युक्त संकल्प की पांच सौ प्रतियां बिहार राजपत्र के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशित की जाए तथा विभाग को उपलब्ध करायी जाए।

18.5.10
 (राम कुमार पाण्डेय)
 संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य विभाग
 बिहार, पटना